# राजस्थान सरकार
# नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक :– यथा हस्ताक्षरित

## आदेश

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति–2025 दिनांक 01.09.2025 को जारी की गई है। उक्त नीति के बिन्दु संख्या 7.1 में यह प्रावधान अंकित किया गया है कि इस नीति के प्रभावी होने से पूर्व के भूमि आवंटन संबंधी विचाराधीन/अनिर्णित प्रकरणों का निस्तारण इस नीति के प्रावधानों के तहत ही निस्तारित किये जायेगें। इस संबंध में निर्देश जारी किये जाते है कि स्थानीय स्तर पर जिन प्रकरणों में भूमि आवंटन के संबंध मे बैठक कर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है उन प्रकरणों में पुनः बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार के स्तर पर आवंटन प्रस्तावित होने की स्थिति में भूमि आवंटन नीति–2025 में अंकित परिशिष्ठ–1 में प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करें।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

**(रवि विजय)**
**उप शासन सचिव–प्रथम**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर), राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. उप शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, जयपुर/ जोधपुर/ अजमेर/ कोटा/ उदयपुर/ भरतपुर/ बीकानेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/ जोधपुर/ अजमेर/ कोटा/ उदयपुर/ भरतपुर/ बीकानेर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
12. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay20@gmail.com>

**उप शासन सचिव–प्रथम**

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :10-10-2025 05:15:47

RajKaj Ref No.: 18274325
eSign DSC